RER Odr. Jetha & Munsi.docx

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 12/17–18

ताला मुर्मू बनाम् रैयान मौजा–डबरा नं0–30

–: आदेश :–

10.10.19

वर्तमान प्रकिया आवेदक ताला मुर्मू, पे0–लाल मुर्मू, साकिन– डबरा, अंचल--बोआरीजोर, जिला–गोड्डा ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–डबरा नं0–30 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–479/रा0, दिनांक–28.08.2019 से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–डबरा नं0–30 प्रधानी मौजा है। आवेदक मौजा–डबरा नं0–30 के अन्तर्गत जमाबंदी नं0–17 के जमाबंदी रैयत सलहाय मुर्मू के पोता हैं। आवेदक के पिता लाल मुर्मू उक्त प्रधानी मौजा के अंतिम प्रधान थे, जिसकी मृत्यु दिनांक–22.06.2017 को हो गई। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत वंशानुगत आवेदक ताला मुर्मू को मौजा डबरा नं0–30 का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

16आना रैयतों द्वारा दिनांक–18.12.2018 को बैठक कर ताला मुर्मू को मौजा– डबरा नं0–30 का प्रधान नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक मौजा के 16आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार The office of Headman being hereditary the next heir who is titled should be headman के आलोक में आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर ताला मुर्मू, पे0–लाल मुर्मू, सा0–डबरा, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा–डबरा नं0–30 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित।

10.10.19

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

10.10.19

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

F/Order.

Scanned with CamScanner